भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, ,2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/- - /- - -/2024 --- समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

भाग - I

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त होंगे।

(3) अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार इन विनियमों की समीक्षा की जाएगी, जब तक कि समीक्षा या निरसन या संशोधन की आवश्यकता इसके पूर्व उत्पन्न न हो।

(4) ये विनियम भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं को छोड़कर प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किये गये सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होंगे।

2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं के लिए अभिशासन संरचना; बीमाकर्ताओं के बोर्ड और प्रबंधन के दायित्व और कार्य उपलब्ध कराना जोः (क) सभी हितधारकों, विशेष रूप से पालिसीधारकों की प्रत्याशाओं की पहचान करती है और उन्हें पूरा करती है; तथा (ख) अभिशासन के लिए सुदृढ़ और विवेकपूर्ण सिद्धांतों और व्यवहारों के अंगीकरण को सुनिश्चित करती है।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा पूर्णकालिक सदस्यों की समिति अथवा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जानेवाला (किये जानेवाले) अधिकारी अभिप्रेत है(हैं)।

(घ) "बोर्ड" से बीमाकर्ता का निदेशक-बोर्ड अभिप्रेत है।

(ङ) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीईओ" और "प्रबंध निदेशक/एम़डी" का अर्थ वही होगा जो ऐसे शब्द के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसके लिए निर्धारित किया गया है।

(च) "कंपनी अधिनियम" से समय-समय पर यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है।

(छ) "प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति" (केएमपी) से समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 में यथापरिभाषित रूप में अभिप्रेत है। "स्वतंत्र निदेशक" से वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो ऐसे शब्द के लिए कंपनी अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

(ज) "संबंधित पक्षकार" से वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो ऐसे शब्द के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

(झ) "पूर्णकालिक सदस्य" का अर्थ वही होगा जो ऐसे शब्द के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

(2) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु कंपनी अधिनियम अथवा अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उनके लिए निर्धारित किया गया है।

भाग - II

4. बोर्ड

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता के पास ऐसी अर्हताएँ और अनुभव, जो बीमाकर्ता के व्यवसाय के मान, स्वरूप, जटिलता और आकार के अनुरूप हो, प्राप्त निदेशकों के रूप में वित्तीय और प्रबंध विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के सक्षम और योग्य व्यक्तियों से युक्त एक बोर्ड होगा, जैसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित बीमा की व्यवस्थाएँ, बीमांकिक और जोखिम-अंकन के जोखिम, वित्त, लेखांकन, नियंत्रण कार्यों की भूमिका, निवेश विश्लेषण और संविभाग प्रबंध तथा ग्राहकों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार, लेखांकन, विधि, बैंकिंग, प्रतिभूतियाँ, अर्थशास्त्र आदि से संबंधित दायित्व; जिससे

वृद्धि को कायम रखने तथा सामान्य रूप से सभी हितधारकों और विशेष रूप से पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के तरीके से कार्यनीतियों को संचालित किया जा सके।

भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) नियम, 2015, जैसा लागू हो, का अनुपालन करने के अधीन, प्रत्येक बीमाकर्ता तीन स्वतंत्र निदेशकों के न्यूनतम के अधीन स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की इष्टतम संरचना को सुनिश्चित करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि, एम़डी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य होगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि बोर्ड का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(2) यदि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या न्यूनतम निर्धारित संख्या से कम हो जाती है, तो ऐसे रिक्त स्थान को तत्काल अनुवर्ती बोर्ड बैठक से पहले अथवा ऐसा रिक्त स्थान उत्पन्न होने की तारीख से 3 महीने के अंदर, जो भी बाद में हो, भरा जाएगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी। इसके अलावा, बीमाकर्ता के स्वतंत्र निदेशक की बर्खास्तगी/ त्यागपत्र देने की स्थिति में, बीमाकर्ता तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को पन्द्रह दिन के अंदर देगा।

(3) स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम और/या सेबी द्वारा जारी किये गये विनियमों (जैसा लागू हो) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में और/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में शर्तों को पूरा करेगा।

(4) निदेशक एक निरंतर आधार पर हर समय, लागू विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करेंगे। निदेशकों की पदावधि, कालावधि और नियुक्ति कंपनी अधिनियम और/या अधिनियम, जैसा लागू हो, का अनुपालन करते हुए होगी।

(5) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 48ए के अधीन सामान्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए ढाँचा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा।

(6) बेहतर और पारदर्शी अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बीमाकर्ता निम्नलिखित को सुनिश्चित करेंगेः

(क) प्रबंधन एवं प्रवर्तकों से बोर्ड की पर्याप्त स्वतंत्रता; और

(ख) अनुपालन, जोखिम, लेखा-परीक्षा, बीमांकिक और सचिवीय कार्य सहित नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता।

5. बोर्ड की शक्तियाँ, भूमिकाएँ और दायित्व

(1) बोर्ड बीमाकर्ता के लिए समग्र कार्यनीति बनाने और उसको निदेश देने एवं उसके उचित समग्र प्रबंधन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता के पास जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रणों के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ और कार्य हैं। अतिरिक्त रूप से, बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रदान करेगा कि उनकी निगरानी करनेवाली ये प्रणालियाँ और कार्य प्रभावी तौर पर और अभीष्ट रूप में परिचालन कर रहे हैं।

(3) **नीतियाँ बनाना और दायित्वों का प्रत्यायोजन -**

(क) बोर्ड कारपोरेट उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति की रूपरेखा निर्धारित करेगा। बोर्ड प्रबंधन के द्वारा विभिन्न नीतियों और कार्यनीतियों के निर्माण और अंगीकरण को सुनिश्चित करेगा तथा सभी प्रयोज्य विधियों और विनियमों के लिए एक सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली को लागू करेगा।

(ख) बोर्ड नीतिगत रूपरेखा निर्धारित करते समय उसके परिचालनों को संचालित करने से संबद्ध विभिन्न जोखिमों और उनके संभावित प्रभाव पर विचार करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में निदेशों और मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा।

(4) अपने दायित्वों के निर्वहण में बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों और प्राधिकार का प्रत्यायोजन बोर्ड की विभिन्न समितियों को कर सकता है, परंतु ऐसा प्रत्यायोजन बोर्ड को उसके प्राथमिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता। बोर्ड अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) तौर पर निम्नलिखित समितियों का गठन करेगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली भूमिकाओं और दायित्वों को निष्पादित करेंगी।

(क) समय-समय पर लागू होनेवाले कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी समितियाँ

बशर्ते कि लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

(ख) <u>जोखिम प्रबंध समिति</u>

एक मजबूत जोखिम प्रबंध प्रणाली और न्यूनीकरण रणनीतियों के विकास के अनुसरण में बीमाकर्ता आस्ति-देयता प्रबंध सहित कंपनी की जोखिम प्रबंध कार्यनीति लागू करने के लिए एक अलग जोखिम प्रबंध समिति गठित करेंगे।

(ग) <u>पालिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति (पीपीजीआर एण्ड सीएम समिति)</u>

पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने एवं पालिसीधारकों को बीमा उत्पादों और शिकायत निवारण प्रक्रियाओँ के बारे में भली भाँति अवगत कराने और शिक्षित करने से संबंधित विभिन्न अनुपालन समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से, प्रत्येक बीमाकर्ता एक पीपीजीआर एण्ड सीएम समिति का गठन करेगा। इस समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक के द्वारा की जाएगी।

(घ) <u>निवेश समिति</u>

प्रत्येक बीमाकर्ता का बोर्ड एक निवेश समिति का गठन करेगा। यह समिति निवेश नीति की सिफारिश करने तथा बीमाकर्ता के निवेश परिचालनों का परिचालनात्मक ढाँचा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ङ) <u>लाभयुक्त (विद् प्राफिट्स) समिति</u>

सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता लाभसहित व्यवसाय के उपयुक्त प्रबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक `लाभयुक्त (विद् प्राफ़िट) समिति' गठित करेगा।

बशर्ते कि बोर्ड भी लागू विनियामक ढाँचे का अनुपालन करने के लिए अथवा अपने द्वारा योग्य समझे गये रूप में अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहण करने के लिए ऐसी अन्य समितियाँ गठित कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि पीपीजीआर एण्ड सीएम समिति का गठन पुनर्बीमा कंपनियों के मामले में अनिवार्य (मैंडेटरी) नहीं होगा।

(5) बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त समितियों का गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति, बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) और आवृत्ति, तथा उसकी कार्यपद्धति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा करेंगी।

(6) **हितों का संघर्ष -**

(क) बोर्ड हितों के संभावित संघर्षों का समाधान करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करेगा तथा कंपनी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ बीमाकर्ता निदेशकों के संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है, वहाँ कंपनी अधिनियम के अधीन बनाये गये संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में निदेशकों के द्वारा प्रकटीकरण और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किये जाएँगे।

(ग) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति बीमाकर्ता के पास एक ही समय दो पद धारित नहीं करेंगे जो हितों के संघर्ष या संभावित संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

(7) **संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन -**

(क) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेनों के प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 188 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली क्रियाविधि के अनुसार किये जाएँगे।

(ख) बोर्ड संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेनों के संबंध में एक नीति, कम से कम बीमा व्यवसाय के सामान्य क्रम में लेनदेनों की एक परिभाषा, स्वतंत्र (आर्म्स लेंग्थ) कीमत-निर्धारण की पद्धति, लागू विधियों के अंतर्गत और/या लेखा-परीक्षा समिति, बोर्ड, शेयरधारकों से अनुमोदन अपेक्षित मदों की सूची तथा संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेनों के लिए संगत किसी अन्य विषय के संबंध में निर्धारित करते हुए बनाएगा।

(ग) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेनों संबंधी नीति की समीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक तौर पर की जाएगी।

(8) **पूँजी विन्यास -**

बीमाकर्ता की पूँजी को बढ़ाने के लिए विकल्पों की योजना बनाने या उनकी जाँच करने के समय बोर्ड पूँजी विन्यास संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(9) **स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड का मूल्यांकन -**

कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र निदेशक कम से कम वर्ष में एक बार बैठक करेंगे। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV में की गई अपेक्षा के अनुसार बोर्ड के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(10) **अनुक्रमण (सक्सेशन) की आयोजना -**

बोर्ड की आंतरिक अभिशासन प्रथाओं के भाग के रूप में, बोर्ड निदेशकत्व और बीमाकर्ता के केएमपी पदों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त पहचान और व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रक्रिया के माध्यम से अनुक्रमण की आयोजना हेतु उपयुक्त कदम उठाने और उपाय करने पर विचार करेगा। बीमाकर्ता इस संबंध में एक योजना को अपनायेगा। बोर्ड ऐसी अनुक्रमण योजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर करेगा।

(11) **समूह और संगुट**

(क) बीमाकर्ता, जो किसी कारपोरेट समूह का भाग हैं, भी समूह-स्तर के लिए स्थापित और समूचे समूह में एकसमान रूप से कार्यान्वित की गई अभिशासन नीतियों और प्रथाओं के संबंध में विनियामक अपेक्षाओं के अधीन हो सकते हैं।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, ये प्रथाएँ बीमाकर्ता के स्तर पर उसके विशिष्ट व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल तथा क्षेत्र (सेक्टर) की विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुनरभिमुखीकृत की जा सकती हैं।

(ग) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "समूह" का अर्थ वही होगा जैसा कि ऐसे शब्द के लिए अधिनियम की धारा 6ए में निर्धारित किया गया है।

भाग - III

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन के अन्य प्रमुख व्यक्ति

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति पूर्णतया अधिनियम की धारा 34ए के उपबंधों के अनुसार करेगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समुचित सावधानी बरतेगा कि आवश्यक अनुमोदनों के लिए पदधारी के नाम की सिफारिश करने से पहले वह `योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) है।

(2) केएमपीएस की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इसके अलावा, नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति लागू विनियमों के अनुसार होगी।

(3) मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) आवश्यक अनुमोदनों के लिए विवरणियाँ, रिपोर्टें और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पदनामित अनुपालन अधिकारी होगा। सीसीओ न्यूनतम 3 वर्ष से अन्यून नियत कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। अनुपालन कार्य के कर्तव्यों और दायित्वों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगेः

क) लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों से बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को अवगत कराना।

ख) लागू अधिनियमों, उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों और परिपत्रों तथा प्राधिकरण और/ या किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा की गई पर्यवेक्षी और अन्य टिप्पणियों का एक समयबद्ध तरीके से बीमाकर्ता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।

ग) विनियामक अनुपालन कार्रवाइयों के संबंध में अनुपालन ढाँचे और प्रशिक्षण का अभिकल्पन करना।

(4) सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के कारण अथवा अन्य प्रकार से कोई रिक्त स्थान उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसी घटना और उसके लिए कारणों से प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा, बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा रिक्त स्थान निरंतर 180 दिन से अधिक अवधि के लिए खाली न रहे, ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

(5) बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तरीके से और फार्मेट में अपने संबंधित केएमपीएस के विवरण का संग्रहण और अनुरक्षण करेंगे। बीमाकर्ता केएमपी पद धारित करनेवाले व्यक्ति के संबंध में किसी भी नियुक्ति या परिवर्तन की सूचना भी प्राधिकरण को देंगे।

7. निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) को पारिश्रमिक

(1) सुदृढ़ पारिश्रमिक नीति और व्यवहार किसी भी बीमाकर्ता के कंपनी अभिशासन ढाँचे का अंग हैं। बीमाकर्ता अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंधन के सभी प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित पारिश्रमिक नीति बनाएँगे और उसका अंगीकरण करेंगे।

(2) बीमाकर्ता का बोर्ड पारिश्रमिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा जो अत्यधिक या अनुपयुक्त जोखिम-ग्रहण के लिए प्रेरित नहीं करे, कारपोरेट संस्कृति, उद्देश्यों, कार्यनीतियों, पहचानी गई जोखिम-वहन क्षमता और बीमाकर्ता के दीर्घकालिक हित के अनुरूप हो, तथा अपने पालिसीधारकों और अन्य हितधारकों के हितों का उचित ध्यान रखे।

(3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा और प्रलेखीकरण करेगा कि पारिश्रमिक नीति की संरचना, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में निर्णयन प्रक्रिया हितों के संघर्ष की पहचान करती है और उसका प्रबंध करती है। बोर्ड के सदस्य पारिश्रमिक संबंधी निर्णयों के संबंध में हितों के वास्तविक अथवा अनुभूत संघर्षों की स्थिति में नहीं रखे जाएँगे।

भाग - IV

8. सांविधिक लेखा-परीक्षक

(1) बीमाकर्ता संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में कम से कम दो लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नियुक्ति में हितों का कोई संघर्ष न हो। लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिश पर, बोर्ड सांविधिक लेखा-परीक्षकों

की नियुक्ति बीमा कंपनी की सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन करेगा। लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन भी सामान्य बैठक में शेयरधारकों के द्वारा किया जाएगा।

(2) सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों, न्यूनतम अर्हताओं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनका पालन बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

भाग - V

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ

(1) इन विनियमों और इनके अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने और उसे जारी रखने की निगरानी करने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) उत्तरदायी होगा। जब तक प्राधिकरण द्वारा संबंधित विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, तब तक मुख्य अनुपालन अधिकारी प्राधिकरण को विवरणियाँ, रिपोर्टें और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पदनामित अनुपालन अधिकारी होगा।

(2) इन विनियमों और इनके अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र के अनुपालन की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित समय के अंदर और विनिर्दिष्ट फार्मेट में वार्षिक आधार पर फाइल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में सीसीओ से एक अलग प्रमाणीकरण होगा, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनेगा।

(3) सभी बीमाकर्ता अपने बोर्ड की संरचना, बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों, निदेशकों और समितियों के सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति के विवरण, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आदि के विवरण के बारे में आवश्यक प्रकटीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से और विनिर्दिष्ट फार्मेट में करेंगे।

10. प्रबंधकत्व (स्टूअर्डशिप)

बीमा कंपनियाँ सूचीबद्ध कंपनियों में महत्वपूर्ण संस्थागत निवेशक हैं तथा निवेश उनके द्वारा पालिसीधारकों के अभिरक्षकों के रूप में धारित किये जाते हैं। निवेशिती कंपनियों के अभिशासन की स्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा बीमा कंपनियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेशिती कंपनियाँ कंपनी अभिशासन के मानकों को उच्च स्तर पर बनाये रखें। बीमा कंपनियों को चाहिए कि वे निवेशिती कंपनियों की सामान्य बैठकों में एक सक्रिय भूमिका निभाएँ और अपने अभिशासन में सुधार लाने के लिए

एक बृहत्तर स्तर पर प्रबंधनों को सक्रिय रखें। यह पक्षकारों के द्वारा प्रामाणिक निर्णय लेने और बीमाकर्ताओं के निवेशों पर प्रतिलाभ को सुधारने में परिणत होगा जो अंततः पालिसीधारकों को लाभान्वित करेगा। बीमाकर्ता इन विनियमों के अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र के आधार पर एक बोर्ड-अनुमोदित प्रबंधकत्व नीति बनाएँगे।

11. परिवेशगत, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी)

प्रत्येक बीमाकर्ता के पास एक बोर्ड-अनुमोदित परिवेशगत, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) ढाँचा विद्यमान होगा। ईएसजी के अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी बोर्ड द्वारा की जाएगी। इस ढाँचे की समीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी। साथ ही, जलवायु जोखिम प्रबंध को सुसाध्य बनाने के लिए, बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा परिचालनों के आकार, स्वरूप और जटिलता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंध ढाँचा स्थापित किया जाएगा।